संख्या-12/2017/आडिट-2-1516/दस-2017-366(3)/2016

प्रेषक,

उमा द्विवेदी
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0,
संगम प्लेस 6वॉ तल, सिविल लाइन्स,
इलाहाबाद।

वित्त (लेखा-परीक्षा) अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 30 अगस्त, 2017

विषय :- अनुदान संख्या-65 के अन्तर्गत स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 के लिए वित्तीय वर्ष 2017-18 के प्रथम 05 माह (अप्रैल, 2017 से अगस्त, 2017 तक) हेतु स्वीकृत लेखानुदान को घटाते हुए अवशेष 07 माह (सितम्बर, 2017 से मार्च, 2018 तक) के लिए वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-8/2017 बी-1-1199/दस-2017-231/2017, दिनांक 03 अगस्त, 2017 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 के अवशेष 07 माह (सितम्बर, 2017 से मार्च, 2018 तक) के लिए आय-व्ययक में आय-व्ययक अनुदान संख्या-65 के लेखाशीर्ष-'2054-खजाना तथा लेखा प्रशासन-098-स्थानीय निधि लेखा परीक्षा-03-अधिष्ठान व्यय' के मद में प्राविधानित धनराशि रू0 78,41,46,000/- (रूपये अठ्हत्तर करोड इक्तालिस लाख छियालिस हजार मात्र) के सापेक्ष अवशेष धनराशि रूपये 44,06,13,000/- (चौवालिस करोड छ: लाख तेरह हजार मात्र) आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख रूपये में)

मानक मदों का विवरण	वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्राविधानित धनराशि	वित्तीय वर्ष 2017-18 के प्रथम 05 माहों (अप्रैल,2017 से अगस्त, 2017 तक) के लिए स्वीकृत की गयी धनराशि	वित्तीय वर्ष 2017-18 के अवशेष 07 माहों (सितम्बर, 2017 से मार्च, 2018 तक) के लिए स्वीकृत की जाने वाली धनराशि
01-वेतन	5758.27	2729.55	3028.72
02-मजदूरी	5.00	2.08	2.92
03-मंहगाई भत्ता	345.50	136.47	209.03
04-यात्रा व्यय	42.00	17.50	24.50
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	20.00	8.33	11.67
06-अन्य भत्ते	425.00	177.08	247.92

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैकता नही है ।क्षर की आवश्यइस पर हस्ता :अत ,
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.nic.in

07-मानदेय	0.50	0.20	0.30
08-कार्यालय व्यय	100.00	41.66	58.34
09-विद्युत देय	35.00	14.58	20.42
10-जलकर/जलप्रभार	6.00	2.50	3.50
11-लेखन सामग्री एवं फार्मो की छपाई	30.00	12.50	17.50
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	50.00	20.80	29.20
13-टेलीफोन पर व्यय	20.00	8.33	11.67
14-मोटर गाड़ियों का क्रय	40.00	16.66	23.34
15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	40.00	16.66	23.34
16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	150.00	62.50	87.50
17-किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व	80.00	33.33	46.67
19-विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	0.10	0.04	0.06
29-अनुरक्षण	14.00	5.83	8.17
42-अन्य व्यय	15.00	6.25	8.75
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	100.00	41.66	58.34
45-अवकाश यात्रा व्यय	2.00	0.83	1.17
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर /साफ्टवेयर का क्रय	100.00	41.66	58.34
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण /तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	30.00	12.50	17.50
49-चिकित्सा व्यय	36.00	25.00	11.00
51-वर्दी व्यय	2.00	0.83	1.17
52-पुनरीक्षित वेतन का अवशेष(राजकीय)	395.09	--	395.09
योग-	7841.46	3435.33	4406.13

(चौवालिस करोड छः लाख तेरह हजार मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2- उपरोक्तानुसार आवंटन किये जाने के फलस्वरूप स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग को कुल रू0 7841.46 लाख का आवंटन हो जायेगा, जिसमें लेखानुदान अवधि के लिए आवंटित की गयी धनराशि रू0 3435.33 लाख भी सम्मिलित है।

3- धनराशियों के व्यय करने में वित्त विभाग के वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-8/2017 बी-1-1190/दस-2017-251/2017, दिनांक 03 अगस्त, 2017 में दिये गये दिशा-निर्देशों का कडाई से अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- उपरोक्तानुसार प्रावधानित धनराशि विभागाध्यक्ष के निवर्तन पर रखते हुए यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशियों का विभागाध्यक्ष के निवर्तन पर रखें जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। व्यय करने के पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा स्थाई आदेशों के अन्तर्गत सम्बन्धित/सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

5- यदि किसी व्यय के लिए शासन स्तर से वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति का प्रस्ताव शासन को संदर्भित किया जाये, तो संदर्भित व्यय के लिए आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि की उपलब्धता इंगित करते हुए लेखाशीर्ष का भी उल्लेख प्रस्ताव में अंकित किया जाय।

6- उ0प्र0 बजट मैनुअल के पैरा-88 के अनुसार नियंत्रक अधिकारी/विभागाध्यक्ष इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि व्यय को कडाई के साथ प्राधिकृत विनियोग के भीतर रखा जाय। तत्काल धनराशि अधीनस्थ कार्यालयों के निवर्तन पर रख कर जारी स्वीकृतियों की एक प्रति शासन को उपलब्ध करायी जाय।

भवदीया,

उमा द्विवेदी
अनु सचिव।

संख्या-12/2017/आडिट-2-1516(1)/दस-2017-366(3)/2016, तद्दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/) द्वितीय,उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/)द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- निजी सचिव, मा0 वित्त मंत्री, उत्तर प्रदेश।
4- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
5- निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- मुख्य कोषाधिकारी, इलाहाबाद।
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 ।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

उमा द्विवेदी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैकता नही है ।क्षर की आवश्यइस पर हस्ता :अत ,
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in